

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या-969 / 2018

आदेश दिनांक:-

19.07.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी

:— श्री अनूप ढण्ड

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी

:— श्री राजेश शर्मा एवं

श्री युनुस खान

प्रत्यर्थी संख्या-3, जिसके नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए हैं, की मृत्यु दावे के दौरान ही हो चुकी होना बताया गया है । अतः प्रत्यर्थी संख्या-3 की तामील Dispense with की जाती है ।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी श्री राजेश शर्मा प्रत्यर्थी संख्या-1 / 6 की ओर से पैरवी हेतु निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं ।

पत्रावली दो सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)